

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),
लखनऊ - 226001

Website-www.uppst.org

पत्र सं०: 622 / अ०भ०नि० ट्रस्ट

Ph No- 0522-2288187

E-mail- cpftrust.2004@gmail.com

दिनांक: 27.07.2018

ई०मेल

समस्त उपमहाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
उ०प्र०पा०ट्रा० कारपोरेशन लि० / सामग्री प्रबन्ध
डिस्काम आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी / केस्को, कानपुर।

आवश्यक एवं महत्वपूर्ण


विषय:- अ०भ०नि० मद में मासिक अंशदान के मद में देय धनराशि के सापेक्ष निगम के मासिक लेखों में लेखांकन एवं भुगतान किया जाना।

अवगत कराना है कि निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी के पत्र सं० 380 / ट्रस्ट / पी०सी०एल० / सी०पी०एफ० / 18 दिनांक 25.07.2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2014-15 से अ०भ०नि० मद में अंशदान की राशि का भुगतान पारेषण निगम द्वारा क्षेत्र स्तर से एवं सम्बन्धित निगम के मुख्यालय स्तर से ट्रस्ट को सीधे किया जा रहा है। ट्रस्ट के वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं अग्रेतर वित्तीय लेखों में अ०भ०नि० मद में लेखांकन निगम के मासिक लेखों के अनुसार देय धनराशि एवं निगम द्वारा ट्रस्ट को माहवार भुगतान की गई राशि के आधार पर किया जाना है।

निगमों द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2016-17 तक के देयता विवरण के आधार पर संज्ञान में लाया गया है कि मासिक लेखों के अनुसार देयता, ट्रस्ट को प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अधिक है जबकि उ०प्र०पा०का०लि० मुख्यालय द्वारा प्रतिमाह निधि मांग के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। देय धनराशि के सापेक्ष ट्रस्ट को धनराशि प्राप्त न होने के कारण मूल धनराशि एवं देय ब्याज के रूप में संचित निधि में कमी होगी। महालेखाकार की सम्प्रेक्षा में भी ट्रस्ट के वित्तीय लेखों में देयता का निगमों के वित्तीय लेखों में देयता के सापेक्ष मिलान न किए जाने पर सम्प्रेक्षा आपत्ति की गई है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के देयता के अलग-अलग विवरण अन्तर की राशि पर अ०भ०नि० मद में देय ब्याज को शामिल करते हुए निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर एक सप्ताह में प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे उनकी जांच कर ट्रस्ट के वित्तीय लेखों में सही राशि लेखांकित की जा सके। साथ ही अन्तर की धनराशि की निधि मांग करते हुए यथाशीघ्र भुगतान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। भविष्य में समय-समय पर वास्तविक निधि मांग के सापेक्ष प्रेषित निधि मांग का आंकलन करते हुए अन्तर की राशि को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथाउपरोक्त


(पी०के० गुप्ता)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

पत्र संख्या-622 / अ०भ०नि० ट्रस्ट / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

ई०मेल

1. निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त) डिस्काम आगरा / लखनऊ / मेरठ / वाराणसी / पारेषण निगम / केस्को, कानपुर।

(पी०के० गुप्ता)

महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

मासिक लेखों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि देयता एवं भुगतान का वर्षवार विवरण

क्रम सं० माह/वर्ष	अं०भ०नि० अभिदान मद की मासिक लेखा अनुसार देयता			अं०भ०नि० अभिदान मद की मासिक लेखानुसार भुगतान			अवशेष	संचित अवशेष	टिप्पणी	अन्य विवरण	
	अर्मावारी अंशदान मद में	नियोक्ता अंशदान मद में	कुल अंशदान	कर्मचारी अंशदान मद में	नियोक्ता अंशदान मद में	कुल भुगतान					
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9(5-8)	10	11	12
1	प्रारम्भिक अवशेष (ब्याज सहित)										
2	अप्रैल										प्रारम्भिक अवशेष
3	मई										अवशेष देय
4	जून										अंशदान (वर्ष)
5	जुलाई										देय ब्याज (वर्ष)
6	अगस्त									
7	सितम्बर										
8	अक्टूबर										कुल अन्तिम अवशेष
9	नवम्बर										
10	दिसम्बर										
11	जनवरी										
12	फरवरी										
13	मार्च										
योग:-											

नोट:-1. उपरोक्त सूचना से सम्बन्धित लेखाशीर्ष 44.620 से 44.621 की डेबिट व क्रेडिट की प्रमाणित अनुसूची भी संलग्न करने का कष्ट करें।

2. अवशेष राशि पर ब्याज सम्बन्धित वर्ष में अंशदायी भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर के अनुसार आगणित करें। वर्ष 2015-16 के लिए 8.70 प्रतिशत।

लेखाधिकारी

उपमुख्य लेखाधिकारी / उपमहाप्रबन्धक (लेखा)